भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

04DD 008116

-2-

जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् राम आसरे पुत्र राम विलास कोरी निवासी–ग्राम मिर्जापुर मिटौलिया, पोस्ट–नौगीव, जिला–फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा 211अ, 344, 211ब कुल रकबा 1.150 हेक्टेयर स्थित ग्राम युसुफ नगर उर्फ [illegible], परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित बैनामिक खाता

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0400 008115

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रू० 20,45,250/-
बाजारू मूल्य : रू० 10,36,000/-
स्टाम्प शुल्क : रू० 2,04,600/
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख जगदीश प्रसाद पुत्र भोगनाथ व श्रीमती बिटाना पत्नी भोगनाथ, निवासी—यूसुफ नगर, उर्फ बगियामऊ परगना—बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ,

২০৪৫২৫/-

৫০০০ + ৩০ = ৫০৩০/-

[illegible]

0400 008117

- 2 -

खतौनी क्रम संख्या 36 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय मे उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 008118

भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 20,45,250/- (बीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ पचास रुपये) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी

0400 008119

प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 008120

विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगें। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना

04DD 008121

समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा विक्रेतागण की चल अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। इस स्थिति में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर

0400 006122

- ६ -

होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम युसुफ नगर एवं बगियामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 9,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 1.150 हेक्टेयर की मालियत रू0 10,35,000/- होती है चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 2,04,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि

1000 Rs.

उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्द्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट – विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण भूमि खसरा 211क, 344, 211ग कुल रकबा 1.150 हैक्टेयर स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ सरियानक परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

<u>खसरा न0 211 अ रकबा 0.064 हेक्टेअर</u>

पूरब	: खसरा संख्या–200
पश्चिम	: खसरा संख्या–213
उत्तर	: खसरा संख्या–224
दक्षिण	: खसरा संख्या–212

100Rs.

1000Rs.

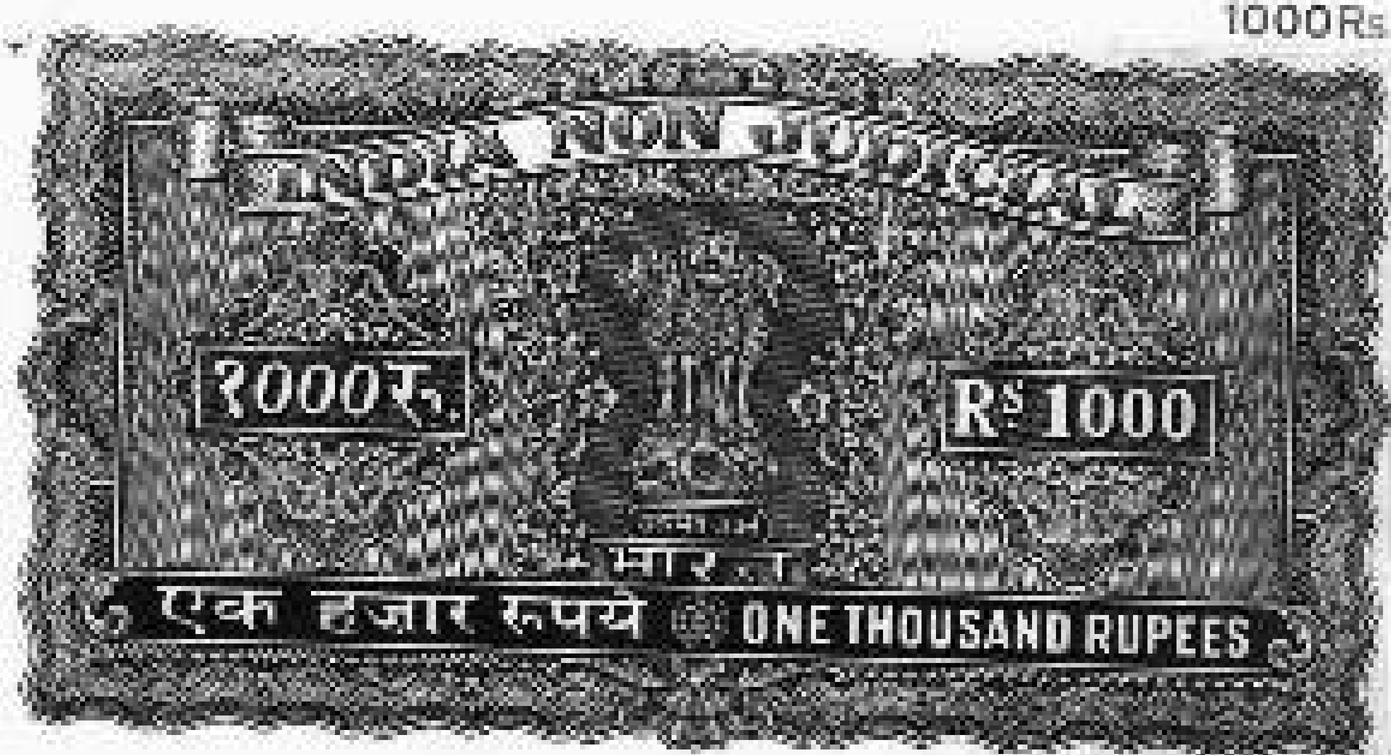

<u>खसरा नं0 344 रकबा 0.760 हेक्टेयर</u>

पूर्व	: खसरा संख्या-341
पश्चिम	: खसरा संख्या-345, 346, 347, 348, 349
उत्तर	: खसरा संख्या-372
दक्षिण	: खसरा संख्या-340

100Rs.

500Rs.

खसरा न० 211 व रकबा 0.320 हेक्टेयर

पूरब : खसरा संख्या–200
पश्चिम : खसरा संख्या–213
उत्तर : खसरा संख्या–224
दक्षिण : खसरा संख्या–212

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेतागण को रु० 10,00,000/– (दस लाख रुपया) क्रेता से द्वारा चैक संख्या–31254, 31255, दिनांकित 20.10.2004 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ प्राप्त हुए तथा रु० 10,45,250/– (रुपया दस लाख पैंतालिस हजार दो सौ पचास) नकद रूप में विक्रेतागण को क्रेता से बैनामा के पूर्व प्राप्त हुए

100Rs.

जिसको भांति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक 12.10.2004

गवाह

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाईपकर्ता

([illegible])

मसविदाकर्ता

(प्रकाश रमन [illegible])
एडवोकेट

[illegible]

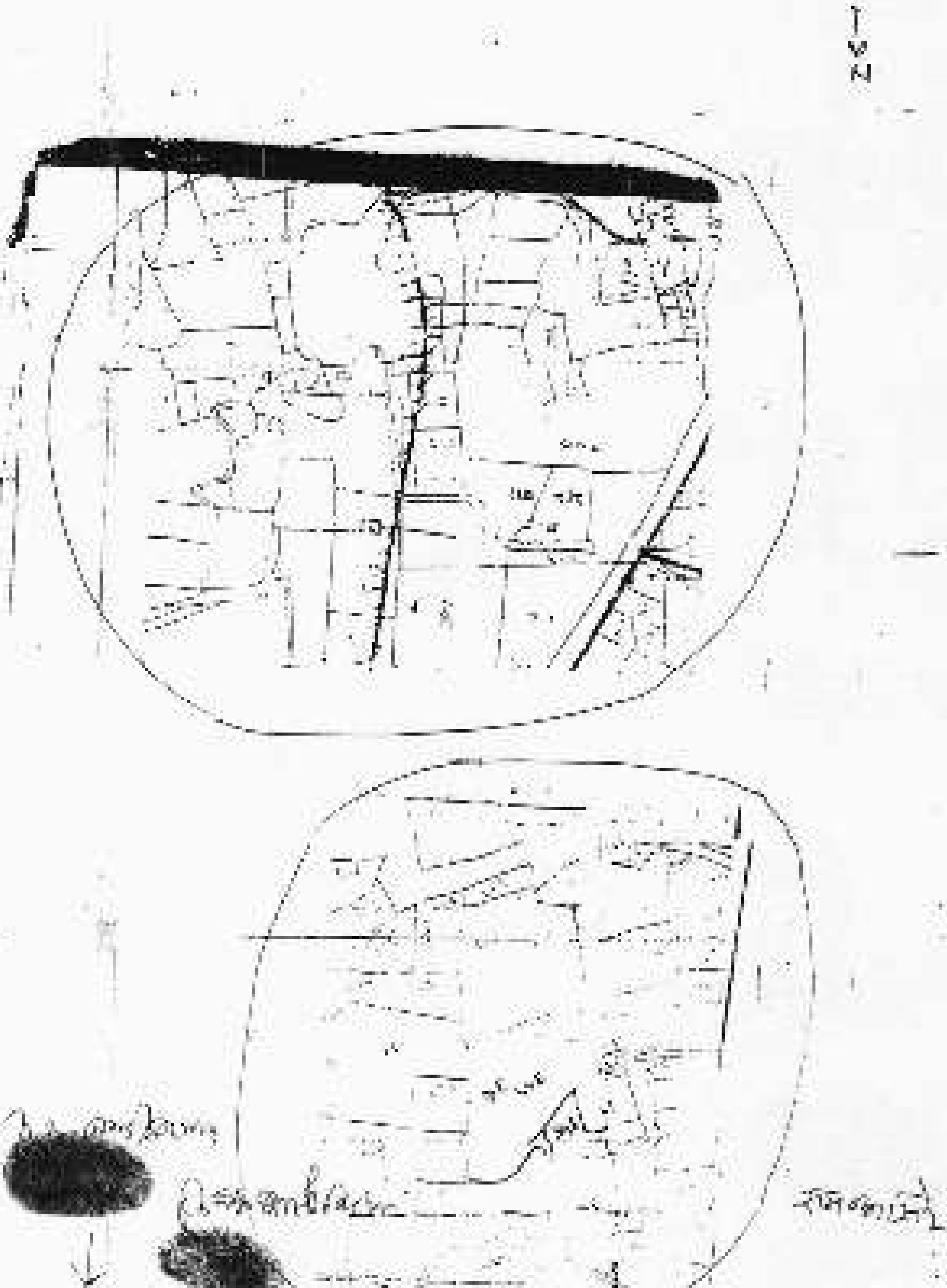

N
N

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

---------------------------------- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

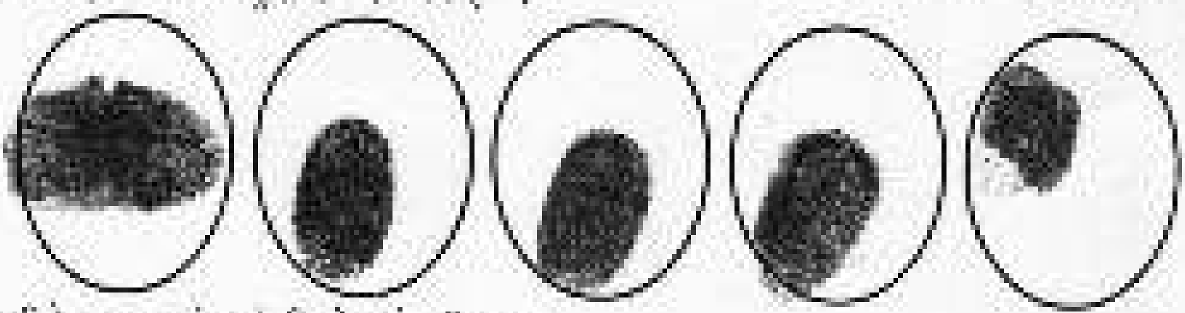

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

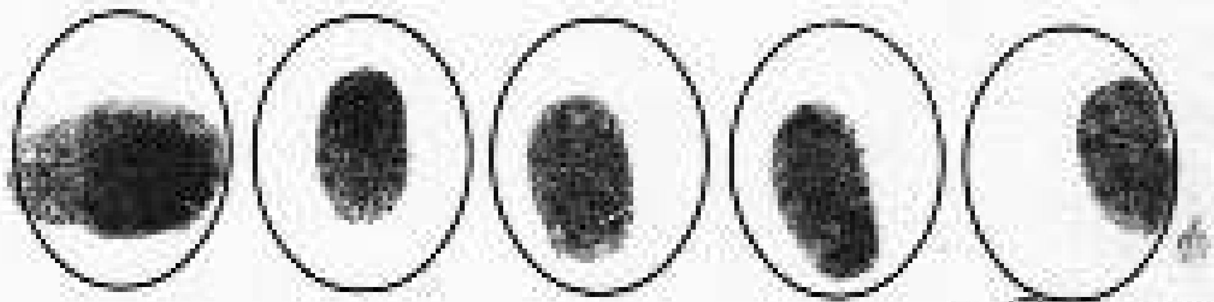

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता [illegible] हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :---- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

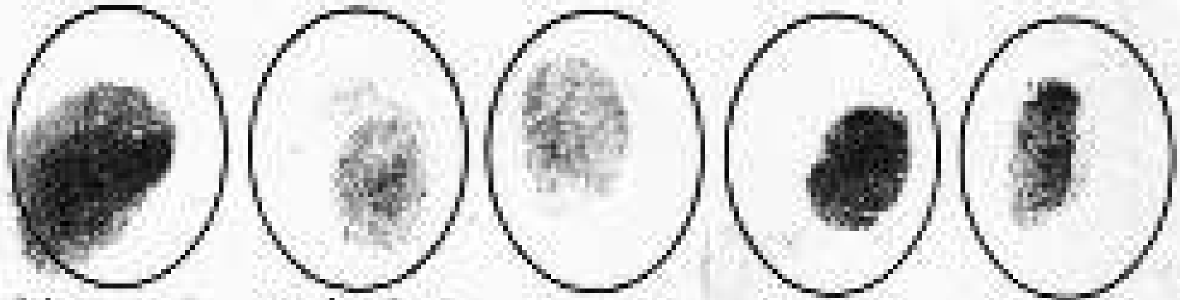

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

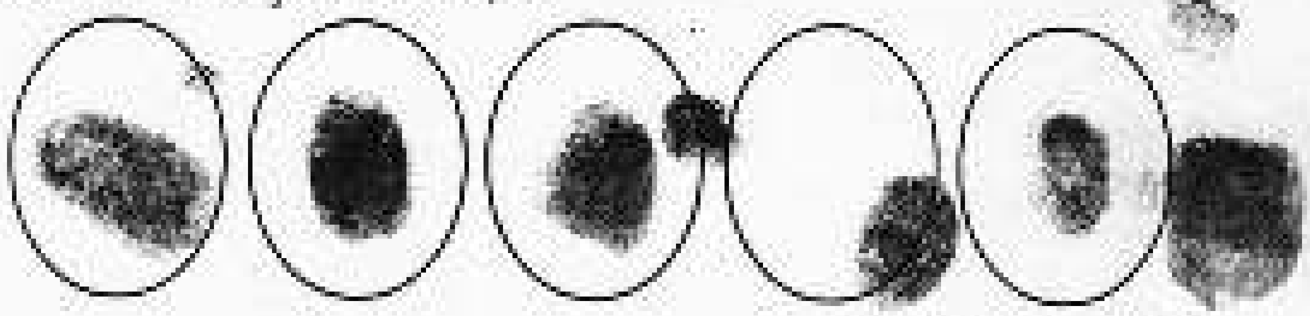

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

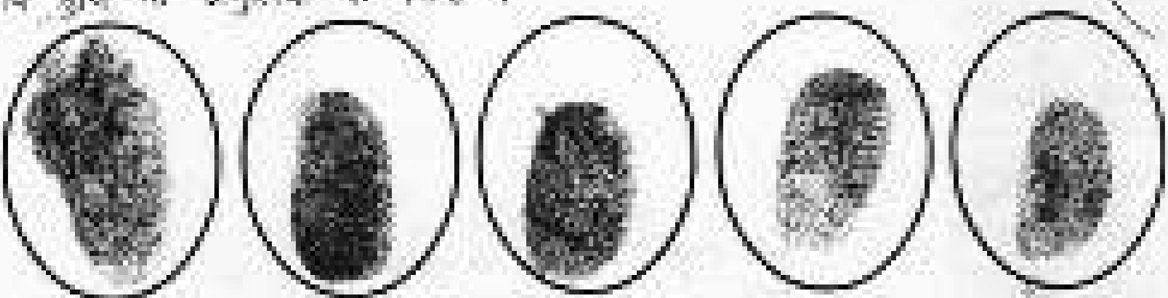

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

[illegible]
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

25-1034
6494
255 3104
283